पत्रांक–योजना बजट–25/2012 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–......../08/2016

विषय :– राजगीर वन विश्रामागार के समीप एक अतिरिक्त उच्चस्तरीय विश्रामागार के निर्माण के लिए कार्य एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना को भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹357.60 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख साठ हजार ₹ मात्र) की निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3709 दिनांक–08.12.2015 के क्रम में राजगीर वन विश्रामागार के समीप एक अतिरिक्त उच्चस्तरीय विश्रामागार के निर्माण के लिए कार्य एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना को भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹357.60 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख साठ हजार ₹ मात्र) की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3709 दिनांक–08.12.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक राजगीर वन विश्रामागार के समीप एक अतिरिक्त उच्चस्तरीय विश्रामागार के निर्माण हेतु भवन योजना अन्तर्गत कुल ₹357.60 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख साठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं इसके तहत उक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु ₹100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) की स्वीकृति दी गयी थी। वित्तीय तकनीकि कारणों से वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी नहीं हो पाने के कारण यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना होंगे तथा संबंद्ध कोषागार, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से इस राशि की निकासी कर उनके द्वारा कार्यकारी

एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० लेखा (PLA) संख्या–268 में जमा किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी मुख्य शीर्ष–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–070–संचार तथ भवन, मांग संख्या–19 उप शीर्ष–01 02–भवन, विपत्र कोड–पी4406010700102 के विषय शीर्ष–27 01–लघु कार्य से की जायेगी।

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–3947 दिनांक–12.07.2016 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार कुल स्वीकृत योजना राशि में से मात्र ₹40.00 लाख (चालीस लाख ₹) की निकासी भवन योजनान्तर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि से की जायेगी तथा शेष राशि की निकासी प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि में से किया जायेगा।

5. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–20.07.2016 की कार्यवाही ज्ञापांक–4119 दिनांक–21.07.2016 के प्रस्ताव–04 के रूप में समिति द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा एवं संचिका के पृ०–65/टि० पर दिनांक–28.07.2016 को प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

6. प्रारूप में संचिका के पृ०–67/टि० दिनांक–02.08.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहर, पटना द्वारा किया जायेगा।

10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो पूर्व के स्वीकृत्यादेश संख्या–3709 दिनांक–08.12.2015 में परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसकी जिम्मेवारी इस कार्य के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की होगी।

11. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–25/2012 5288/प०व० पटना–15, दिनांक–08/08/2016

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/वन संरक्षक (मुख्यालय)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Jha 8/8/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव